

भुगतान करने के लिए निर्देश	Direction for making payments
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भुगतान नकद या चेक/डिमांड ड्राफ्ट "सहायक अभियन्ता (मुख्यालय) या अभिरासी अभियन्ता (मुख्यालय) विद्युत विभाग के पक्ष में आहूत द्वारा किया जाना चाहिए।</li> <li>❖ सभी घरेलू उपभोक्ता (प्रात्रापुर और बर्डलाईन साईट कार्यालय के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर) को बिलों का भुगतान सामान्य सेवा केन्द्रों पर कार्य दिवसों में (सोमवार से शनिवार) सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच और रविवार को (छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 12 बजे के बीच करना चाहिए, जहाँ केवल नकद भुगतान ही स्वीकार्य है। भुगतान के लिए नकद तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा।</li> <li>❖ अन्य सभी उपभोक्ता (प्रात्रापुर और बर्डलाईन साईट कार्यालय के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर) (घरेलू उपभोक्ता सहित वे सभी उपभोक्ता जो नियत तारीख के भितर बिल का भुगतान करने में विफल रहा हो या जिनकी देय राशि बकाया हो) को विद्युत विभाग के संबंधित क्षेत्र के साईट कार्यालय के भुगतान काउंटर पर बिलों का भुगतान सभी कार्यदिवसों में (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 8.30 बजे से दोपहर 12 बजे और शनिवार को सुबह 8.30 बजे से सुबह 11 बजे के बीच करना चाहिए।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Payments should be made by cash or Cheque / Demand Draft in favour of "Assistant Engineer (HQ), Electricity Department" or "Executive Engineer (HQ), Electricity Department".</li> <li>❖ All Domestic category consumers should pay the Bill amount at all CSC counters on all working day from 08:00 hrs to 20:00 hrs (Monday to Saturday) and 08:00 to 12:00 hrs on Sunday, excluding holidays. Only Cash mode of payment will be accepted, no other mode of payment will be considered. (Except Prothrapur-I &amp; Bird Line Site Office)</li> <li>❖ All other category of consumers (including domestic consumers whose having outstanding dues/arrears or consumers whose failed to pay the bill within due date) should pay the bill amount at respective Electricity Department site office counter on all working days from 08:30 hrs to 12:00hrs (Monday to Friday) and on Saturday 8.30 am to 11.00 am (Except Prothrapur-I &amp; Bird Line Site Office)</li> </ul>
<p align="center"><b>NOTE: In case of complaint regarding interruption of supply please ring up Telephone No.:-</b>  <b>232786, 233523, 233522, 229840, 233530, 233524, 250258, 260974, 258730, 255220, 283923, 252670, 225511, 266323</b>  <b>(For further details please contact any of the site officer or Revenue accountant (HQ) division at telephone No. 232593 or 232786)</b></p>	